



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264799
CG-DL-E-18072025-264799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3246]
No. 3246]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(भूमि तथा विकास कार्यालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2025

का.आ. 3319(अ).— सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भूमि तथा विकास कार्यालय की दिनांक 17 जनवरी, 2025 की अधिसूचना सं. ए-42021/23/2017-प्रशा.(एल एंड डी ओ) के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री बिपिन कुमार सिंह, उप भूमि तथा विकास अधिकारी – (VII) जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, को उपर्युक्त अधिनियम, के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो लोक परिसरों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उपर्युक्त अधिनियम के तहत/के द्वारा सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों, जिनका वर्णन नीचे किया गया है, का प्रयोग करेंगे एवं सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	लोक परिसर तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
1.	श्री बिपिन कुमार सिंह, उप भूमि तथा विकास अधिकारी-VII, भूमि तथा विकास कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	भूमि तथा विकास कार्यालय के अंतर्गत आने वाली सभी जमीन व परिसर

[फा. सं. ए-42021/23/2017-प्रशा.(एल एंड डी ओ)]

रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**(Land and Development Office)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd July, 2025

S.O. 3319(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs, Land & Development Office No. A-42021/23/2017-Admn.(L&DO) dated 17th January, 2025, the Central Government hereby appoints Shri Bipin Kumar Singh, Dy. L&DO-VII being Gazetted Officers of Government of India, to be the Estate Officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on an Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his/her jurisdiction in respect of Public Premises as detailed below:

S. No.	Name and Designation of the Officer	Public Premises and local limits of jurisdiction
1	Shri Bipin Kumar Singh, Dy. L&DO-VII, Land & Development Office, Nirman Bhawan, New Delhi	All premises/land under the control of Land and Development Office.

[F. No. A-42021/23/2017-Admn.(L&DO)]

RAVI KUMAR ARORA, Jt. Secy.